प्रमुख आकर्षण

- हापुड़–दिल्ली मुख्य मार्ग पर स्थित प्राधिकरण की प्रीमियम आवासीय योजना ''आनन्द विहार'' के एच ब्लॉक में स्थित।
- योजना से नई दिल्ली की दूरी मात्र 45 किमी0 एन.एच.–9 से बेहतर कनेक्टिविटी।
- हापुड़ कलेक्ट्रेट से 100 मीटर की दूरी पर स्थित।
- जिला प्रशासकीय व प्राधिकरण के अधिकारियों के आवास के सन्निकट।
- आनन्द विहार योजना में विकसित डॉ राम मनोहर लोहिया पार्क से मात्र 100 मीटर की दूरी पर।
- योजना में जनपद न्यायालय का निर्माण प्रस्तावित।
- चौडी सड़के, विकसित पार्क, स्ट्रीट लाईटस व अन्य सुविधाओं से सुसज्जित।
- भवनों के परिसर पर बाउण्ड्रीवाल, मेन गेट तथा एकल प्रवेश व निकास की व्यवस्था के साथ सुरक्षा गार्ड का प्रावधान।
- भवनों का निर्माण छः मंजिले अपार्टमेन्ट के रूप में किया गया है, जिसमें पर्याप्त लिफ्ट की सुविधा दी जायेगी।
- नोएडा व ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित 198 छः मंजिले भवनों का इन्डीपेन्डेन्ट अपार्टमेन्ट।
- आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ।
- राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्थाओं से कम से कम ब्याज दर पर होम लोन की सुविधा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक सी.एल.एल.एस. के अन्तर्गत होम लोन के ब्याज पर छूट का लाभ।
- ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर मनपसन्द भवन प्राप्त करने का अवसर।
- संस्था/ग्रुप के लिए एक ही कलस्टर में भवनों की उपलब्धता।
- आगामी तीन माह में भवनों का कब्जा दिया जाना प्रस्तावित।

1. **योजना का नाम–**

अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत आनन्द विहार योजना के एच ब्लॉक में बहुमंजिले भवन

2. **भवनों की श्रेणी–**

– मध्यम आय वर्ग श्रेणी–1 (MIG-1)

– मध्यम आय वर्ग श्रेणी–2 (MIG-2)

– निम्न मध्यम आय वर्ग श्रेणी–3 (LMIG)

3. **योजना कोड–**

योजना कोड–245

4. **योजना की स्थिति–**

योजना दिल्ली–लखनऊ राजमार्ग (एन.एच.–9) के निकट प्राधिकरण की आनन्द विहार आवासीय योजना के ब्लॉक एच में स्थित है।

5. **भवनों का कबर्ड एरिया–**

– मध्यम आय वर्ग श्रेणी–1,	कबर्ड एरिया : 74.54 वर्ग मी0
– मध्यम आय वर्ग श्रेणी–2,	कबर्ड एरिया : 68.16 वर्ग मी0
– निम्न मध्यम आय वर्ग श्रेणी–3	कबर्ड एरिया : 46.46 वर्ग मी0

★ यदि साइट प्लान के अनुसार भूमि का क्षेत्रफल आवंटित क्षेत्रफल से अधिक हो जाता है तो आवंटित क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत की सीमा तक अधिक होने पर पुरानी दर (आवंटन के सामय की दर) तथा उसके अतिरिक्त बढ़े हुए क्षेत्रफल हेतु नई दर (तत्समय प्रभावी दर) लगायी जायेगी

6. **अवस्थित अधिमार–**

★ यदि भवन के निबन्धन से पूर्व शासन द्वारा अन्य कोई अधिमार लगाया जाता है तो शासनादेशानुसार उसका भुगतान भी आवंटी को करना होगा।

★ उक्त प्रकार के अधिभार को भवन के मूल्य में जोडकर नियमानुसार लीज रेन्ट शुल्क भी देय होगा।

7. **पात्रता–**

★ आवेदक भारत का नागरिक हो तथा आवेदक संविदा हेतु सक्षम हो।

★ आवेदन पत्र जमा करने की दिनांक पर आवेदक व्यस्क हो।

8. **आवेदन कैसे करे–**

★ विवरण पुस्तिका तथा आवेदन पत्र दिनांक 27.01.2021 से निम्नलिखित बैंकों की शाखाओं से रू.500/– का नकद भुगतान अथवा प्राधिकरण कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

★ निर्धारित शुल्क के साथ प्राधिकरण की वेबसाइट से भी आवेदन पत्र डाउनलोड किया जा सकता है।

★ हस्ताक्षरित आवेदन पत्र विधिवत रूप से भरकर निर्धारित पंजीकरण धनराशि, जो उपाध्यक्ष, हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण के नाम से देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में मान्य होगी, के साथ प्राकिरण के सम्पत्ति अनुभाग मे निर्धारित समयवधि में जमा किया जा सकेगा।